आवश्यक

संख्या: 32/2019/2592/12-2-2019-एस.85/2008

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार तिवारी,
कृषि उत्पादन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 18 सितम्बर, 2019

विषय: रबी अभियान 2019 की फसलोत्पादन की रणनीति।

महोदय,

प्रदेश में इस वर्ष मानसून समय से कुछ विलम्ब से आने, किन्तु बाद में लगातार अच्छी वर्षा से खरीफ फसलों की बुवाई विशेष रूप से धान की नर्सरी एवं धान की रोपाई समयान्तर्गत पूर्ण कर ली गयी। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा इस वर्ष मानसून सामान्य रहने की भविष्यवाणी की गई है। अभी तक वर्षा सामान्य रही है। फिर भी पूर्व वर्षो के अनुभव के आधार पर विपरीत परिस्थितियों के प्रभाव को कम करने हेतु मौसम आधारित आकस्मिक योजना 2019 तैयार करके समस्त क्षेत्रीय अधिकारियों को तदनुरूप कार्यवाही हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये थे। खरीफ, 2019 में कुल बुवाई का लक्ष्य 95.85 लाख हे0 प्राप्त करने हेतु आवश्यक निवेशों की उपलब्ध करायी गयी, परिणामत: खरीफ फसलों के अन्तर्गत शतप्रतिशत आच्छादन प्राप्त हुआ। आच्छादन एवं निवेशों की उपलब्धता के दृष्टिगत रबी 2019-20 हेतु निम्नवत रणनीति तैयार की गयी है:-

- समय से बुवाई उत्पादकता को बढाने हेतु सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इस वर्ष रबी में 30 नवम्बर तक 80 प्रतिशत क्षेत्र में गेहूँ की बुवाई सुनिश्चित की जानी है। शेष 20 प्रतिशत क्षेत्रों में भी 10 दिसम्बर तक पूर्ण की जानी होगी।
- फसलों की बुवाई एक पंक्ति में करायी जाए। लाइन सोइंग के लिए सीड ड्रिल अथवा जीरो टिल का प्रयोग किया जाए।
- कृषक अब भी काफी बडे क्षेत्र में अपना ही बीज बोते हैं। अत: कृषकों को प्रमाणित एवं अधिक उपजदायी प्रजातियों की ओर आकृष्ट करने के लिए इनकी व्यवस्था बिक्री

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

केन्द्रों से ही सुनिश्चित करने के साथ-साथ उन्हे इन बीजों के लाभ से भी परिचित कराया जाए।

- बीज जनित रोगों के नियंत्रण हेतु बीज बीज शोधन हेतु उन कृषकों को विशेष रूप से प्रेरित किया जाए, जो स्वयं उत्पादित बीज का प्रयोग करते हैं। बीज शोधन को बढावा देने के लिए बीज शोधक रसायनों एवं बीज शोधक बायोपेस्टीसाइडस पर 75 प्रतिशत अनुदान की व्यवस्था, पर्याप्त मात्रा में बीज शोधक रसायनों एवं बायोपेस्टीसाइडस को कृषि रक्षा इकाई, निजी विक्रय केन्द्रों पर उपलब्ध कराये जाने की जानकारी कृषकों को उपलब्ध करायी जाए।
- मृदा स्वास्थ्य कार्ड के माध्यम से कृषकों को भूमि में उपलब्ध पोषक तत्वों की उपलब्धता के आधार पर खाद एवं उर्वरकों की संस्तुतियॉ की जानी हैं।
- विगत वर्षो की भॉति आवश्यकतानुसार जिलाधिकारी अपने स्तर से विभिन्न विभगों के कर्मचारियों की तैनाती करते हुए उनकी देख-रेख में कृषकों को उनकी कृषित भूमि/फसल हेतु निर्धारित संस्तुतियों के अनुसार उर्वरकों की मात्रा का वितरण शतप्रतिशत पी0ओ0एस0 मशीन के माध्यम से निर्धारित मूल्य पर ही कराया जाए और यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पी0ओ0एस0 से निकलने वाली पर्ची/कैश रसीद कृषकों को उर्वरक क्रय करते समय ही उर्वरक विक्रेताओं के द्वारा दी जाए।
- रबी उत्पादन कार्यक्रम की सफलता हेतु कृषि निवेशों की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति की व्यवस्था अनिवार्य रूप से बुवाई से पूर्व कर लेना आवश्यक है। प्रत्येक जनपद में विकास खण्डवार एवं फसलवार उत्पादन योजना तैयार की जाए। विभिन्न कृषि निवेशों की संस्थावार मांग उपलब्धता तथा पूर्ति व्यवस्था को जनपद की कार्य योजना में सम्मिलित किया जाए।
- रबी 2019-20 में विगत वर्षो की भॉति सभी फसलों के प्रमाणित बीज वितरण पर अनुमन्य अनुदान की धनराशि लाभार्थी कृषकों के बैंक खाते में डी0बीटी0 द्वारा दिया जायेगा। डी0बी0टी0 व्यवस्था को सफल बनाने हेतु निर्धारित बीज वितरक संस्थाओं को भी निर्देशित किया गया है।
- केन्द्र पोषित नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन (आयल सीडस) योजनान्तर्गत रबी तिलहनी फसलों की अधिक उपज देने वाली 15 वर्ष तक की अधिसूचित प्रमाणित बीज की प्रजातियों पर रूपये 4000/- प्रति कुंतल, तिल के प्रमाणित बीजों पर रूपये 8000/- प्रति कुंतल एवं 10 वर्ष तक की अधिसूचित संकर प्रजातियों पर रूपये 8000/- प्रति कुंतल की दर से अनुदान देय है।
- गेहूँ की 10 वर्ष से कम अवधि की प्रजातियों पर राज्य सरकार द्वारा रूपये 600/- प्रति कुंतल एवं 10 वर्ष से अधिक अवधि की प्रजातियों पर राज्य सरकार द्वारा रूपये 300/- प्रति कुंतल अनुदान देय है। केन्द्रीय अनुदान एवं राज्य सरकार से देय अनुदान बीज मूल्य के 50 प्रतिशत की सीमा अन्तर्गत देय होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

- जौ फसल में केन्द्रीय योजनाओं से आच्छादित जनपदों में 10 वर्ष से कम अवधि की प्रजातियों पर राज्य सरकार द्वारा रूपये 3000/-प्रति कुंतल एवं 10 वर्ष से अधिक अवधि की प्रजातियों पर रूपये 1500/-प्रति कुंतल का अनुदान देय है।
- चना, मटर एवं मसूर में 10 वर्ष से कम अवधि की प्रजातियों पर राज्य सरकार द्वारा रूपये 2000/-प्रति कुं0 एवं 10 वर्ष से अधिक अवधि की प्रजातियों पर रू0 1000/-प्रति कुंतल का अनुदान देय है। केन्द्रीय अनुदान एवं राज्य सरकार से देय अनुदान बीज मूल्य के 50 प्रतिशत की सीमा अन्तर्गत देय होगा।
- तोरिया, राई/सरसों एवं अलसी में 15 वर्ष तक की अवधि की प्रजातियों पर राज्य सरकार द्वारा रूपये 1500/-प्रति कुंतल अनुदान देय है। केन्द्रीय अनुदान एवं राज्य सरकार से देय अनुदान बीज मूल्य के 50 प्रतिशत की सीमा के अन्तर्गत देय होगा।
- कृषकों को सुगमतापूर्वक ऋण उपलब्ध कराने के उददेश्य से वर्ष 2019-20 में 3.00 लाख नवीन किसान क्रेडिट कार्ड एवं 41.33 लाख किसान क्रेडिट कार्ड के नवीनीकरण का लक्ष्य रखा गया है।
- फसल अवशेषों को खेतों में जलाने से रोकने हेतु कृषकों को जागरूक किया जाए। इसके लिए 'इन-सीटू' योजना के अन्तर्गत उपलब्ध कराए गए यंत्र यथा हैप्पी सीडर, जीरो टिल, सीड ड्रिल आदि का अधिकाधिक प्रयोग किया जाए।
- तराई के जनपदों में गेहूँ की यलो रस्ट की रोकथाम के लिए उपयुक्त रसायन ''प्रोपिकोनाजोल'' की व्यवस्था की जाए। इसका क्षेत्रों में सर्वेक्षण करते हुए बीमारी का प्रकोप होते ही रोकथाम हेतु इसका तत्काल उपयोगा कराना आवश्यक होगा।
- बाढ प्रभावित जनपदों में परिस्थिति अनुकूल फसलों के आच्छादन में वृद्धि की जाए।
- मृदा में गिरते उर्वरा स्तर के दृष्टिगत फसल चक्र में दलहनी फसलों की बुवाई हेतु कृषकों को प्रोत्साहित किया जाए।
- स्प्रिंकलर/ड्रिप/एचडीपीई पाइप आदि से सिंचाई करने हेतु कृषक के मध्य प्रचार-प्रसार कराया जायेगा। जल संरक्षण हेतु कृषकों को योजनाओं की जानकारी उपलब्ध करायी जाए।
- फसल सघनता बढाने का लक्ष्य रखा गया है। कृषकों को वर्ष में 02 या 03 फसल लेने हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा। खरीफ के बाद खाली पडे खेतों को चिन्हित कर उपलब्ध संसाधनों के अनुसार रबी में विभिन्न फसल उगाने हेतु प्रोत्साहित किया जाए।
- कृषकों को प्रमाणित एवं अधिक उपज देने वाली प्रजातियों के प्रति आकृष्ट किया जाए और इसके लिए बीज विक्री की उचित व्यवस्था करायी जाए।
- मृदा में सूक्ष्म तत्वों की कमी को दूर करने के लिए सूक्ष्म तत्वों के मिश्रण का प्रयोग सम्पूर्ण प्रदेश में संचालित किया जाए। हरी खाद, गोबर की खाद एवं वर्मी कम्पोस्ट का प्रयोग बढाया जाए।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

- कृषि यंत्रों के प्रयोग को बढावा दिये जाने पर बल दिया जाय, इससे श्रम, धन व समय की बचत होगी।
- बीज उत्पादन हेतु कृषकों को प्रोत्साहित किया जाए। इस हेतु कृषि विभाग की बीज ग्राम योजना की जानकारी कृषकों को उपलब्ध करायी जाए।
- कृषि विविधीकरण पर बल दिया जाए। इसमें कृषि के साथ पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, मौन पालन, ग्रेड पालन आदि किए जाने हेतु कृषकों को जागरूक किया जाए।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रत्येक जनपद के जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी कृषि निवेशों की समय सारिणी के अनुसार उपलब्धता सुनिश्चित कराकर इनका वितरण, विद्युत आपूर्ति, डीजल की उपलब्धता/नलकूप/नहर द्वारा सिंचाइ व्यवस्था की समय-समय पर समीक्षा कर समस्याओं का निराकरण अपने स्तर अथवा अपेक्षित स्तर से कराना सुनिश्चित करेंगे। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि नहरों के अन्तिम छोर तक पानी अवश्य पहुंचे।

3. उत्पादकता एवं उत्पादन वृद्धि हेतु रबी के फसलोत्पादन की विस्तृत रणनीति संलग्न कर भेजी जा रही है (संलग्नक-1)। यह प्रयास किया जाए कि उक्त योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक किसानों को प्राप्त हो सके।

4. मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप रबी अभियान 2019-20 हेतु अपने मण्डल/जनपद की भू-जलवायुविक आवश्यकताओं के अनुरूप स्थानीय स्तर पर विशेष रणनीति तैयार कराते हुए कृषि उत्पादन में निर्धारित 5.1 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त करने हेतु अपना सक्रिय योगदान देकर रबी अभियान 2019-20 को पूर्णत: सफल बनायेंगे।

<u>संलग्नक:</u>

1. विस्तृत रणनीति।
2. कृषि निवेशों की व्यवस्था।
3. प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के मुख्य बिन्दु।

भवदीय
राजेन्द्र कुमार तिवारी
कृषि उत्पादन आयुक्त।

<u>संख्या: 32/2019/ 2592(1) /12-2-2019 तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. कृषि आयुक्त, भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, कृषि, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग/वन विभाग/ सिंचाई विभाग/राजस्व विभाग/गन्ना विभाग/सहकारिता विभाग/ऊर्जा विभाग/संस्थागत वित्त विभाग/भूमि एवं जल संसाधन विभाग/पशुधन विभाग/मत्स्य विभाग/ग्राम्य विकास विभाग/ पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. विशेष सचिव, कृषि अनुभाग-2 एवं 3, उत्तर प्रदेश शासन।
5. निदेशक, गन्ना विकास निदेशालय, भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, लखनऊ।
6. निदेशक, केन्द्रीय उपोष्ण उद्यान संस्थान, रहमानखेडा, लखनऊ।
7. निदेशक, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, भदरूख, रायबरेली रोड, लखनऊ।
8. निदेशक, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, कल्याणपुर, कानपुर।
9. निदेशक, केन्द्रीय भूमि एवं जल संरक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान, छलेसर, आगरा।
10. निदेशक, केन्द्रीय औषधि एवं संगत पौध अनुसंधान संस्थान, लखनऊ।
11. कुलपति, सैम हिग्गनबॉटम कृषि, प्रौद्योगिकी एवं सिज्ञान विश्वविविद्यालय, नैनी, प्रयागराज।
12. कुलपति, कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर एवं कुमारगंज (अयोध्या)।
13. कुलपति, सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मोदीपुरम, मेरठ।
14. कुलपति, बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बांदा।
15. कुलपति, रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी।
16. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
17. आयुक्त, ग्रामीण अवस्थापना विकास, उत्तर प्रदेश शासन।
18. अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
19. परियोजना समन्वयक, उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना, लखनऊ।
20. गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
21. निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, लखनऊ।
22. निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
23. निबंधक, सहकारी समितियॉ, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
24. मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ।
25. मुख्य अभियन्ता, नलकूप, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
26. निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
27. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
28. निदेशक, पंचायत राज, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
29. निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था, लखनऊ।
30. मुख्य अभियन्ता, नलकूप (पूर्व/पश्चिम), विक्टोरिया पार्क, मेरठ।
31. निदेशक, आकाशवाणी केन्द्र, लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, रामपुर एवं मथुरा।
32. निदेशक, दूरदर्शन केन्द्र, लखनऊ।
33. प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
34. सूचना निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

35. निदेशक, संस्थागत वित्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
36. प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश कृषि औद्योगिक निगम, लखनऊ।
37. निदेशक, कृषि विज्ञान संस्थान, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी।
38. निदेशक, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, झांसी।
39. निदेशक, राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, रहमानखेडा, लखनऊ।
40. निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य कृषि प्रबंध संस्थान, रहमानखेडा, लखनऊ।
41. महानिदेशक, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, लखनऊ।
42. प्रबंध निदेशक, कोआपरेटिव फेडरेशन लि0, लखनऊ।
43. प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
44. प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
45. प्रबंध निदेशक, कोआपरेटिव बैंक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
46. प्रशासक, शारदा सहायक राम गंगा समादेश क्षेत्र, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
47. कृषि निदेशालय के समस्त नियंत्रक अधिकारी।
48. क्षेत्रीय प्रबंधक, राष्ट्रीय बीज निगम, पानदरीबा, लखनऊ।
49. प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी औद्योनिक संघ, लखनऊ।
50. प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश सहकारी गन्ना संघ, लखनऊ।
51. प्रबंध निदेशक, यू0 पी0 स्टेट एग्रो इण्ड्रस्ट्रियल कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
52. निदेशक, बाल्मी सिंचाई विभाग, उतरेटिया, लखनऊ।

आज्ञा से,
अमित मोहन प्रसाद
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।